FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

परमजीत कौर उर्फ तारावन्ती **बनाम** त्रिलोक आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 आरटीए नम्बर 174 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/245

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2025	प्रार्थीगण परमजीत कौर उर्फ तारावन्ती पत्नी बहादूर सिंह जाति बावरी निवासी गांव कच्चाभान डाकखाना मेहरसिंहवाला तहसील जीरा जिला फिरोजपुर पंजाब आदि की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	सम्मन जारी 309 12/06/25
01/07/25	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अर्ज किया कि पत्रावली आज पेशी मे ली जाकर प्रार्थीगण को नए तथ्यों के आधार पर नया वादपत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त अनवानी दावा वापिस फरमाया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र वापिस लेने पर, प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर नया वादपत्र पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)